कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : 380 दिनांक :– 24.7.24

:: रद्दी नीलामी सूचना ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय के अभिलेखागार में तलफशुदा पत्रावलियों व अखबार की रद्दी तादादी अनुमानित मात्रा 150 क्विंटल की नीलामी दिनांक 05.08.2024 को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय की अभिलेखागार शाखा में सांय 4.30 बजे नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी की जावेगी। नीलामी के नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय में एवं राज्य सरकार की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

–:: नीलामी के नियम व शर्तें ::–

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था अमानत राशि रूपये 5000/–दिनांक 05.08.2024 को अपराहन 3.00 बजे तक कैशियर, जयपुर महानगर द्वितीय कक्ष कमरा सं0 627 में जमा कराकर नीलामी कार्यवाही में बोली लगा सकते हैं। नीलामी अमानत राशि नकद जमा करानी होगी। अमानत राशि जमा नहीं कराने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था बोली में भाग नहीं ले सकेगी।
2. नीलामी तिथि स्थगित करने अथवा प्राप्त बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रद्दी नीलामी कमेटी को होगा।
3. अधिकतम राशि की नीलामी बोली देने वाले के नाम नीलामी छोड़ना या नहीं छोड़ना तथा नीलामी बोली को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार नीलामी कमेटी का होगा।
4. नीलामी हेतु उपयुक्त बोली प्राप्त नहीं होने पर उनसे नेगोशियेशन कर उचित बोली स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।
5. नीलामी बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद रूपये 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र) स्वीकृत बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में अग्रिम जमा करवाने होंगे, जिन्हें अंत में रद्दी की कीमत में समायोजित कर लिया जायेगा। नीलामी बोली मंजूर होने के बाद स्वीकृत बोलीदाता को रद्दी 07 दिवस/यथाशीघ्र अपने खर्चे से भरकर/उठाकर/तुलवाकर ले जानी होगी।
6. घडी/मीटर कांटे से रद्दी की तोल नहीं करवाई जावेगी। रद्दी की तुलाई धर्मकांटे से करवाई जावेगी। समस्त व्यय स्वीकृत बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
7. जिन बोलीदाताओं की नीलामी दरें स्वीकार नहीं होगी, उनके द्वारा जमा कराई गई राशि रू0 5000/–तुरन्त मौके पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की अमानत राशि को धरोहर राशि में समायोजित करते हुए शेष राशि 35,000/–रूपये प्राप्त किये जावेंगे। शेष राशि सामग्री की वास्तविक वजन पर करवाने के पश्चात् जमा करवायी जावेगी। उसके पश्चात् ही नीलामी रद्दी सामग्री संबंधित स्वीकृत बोलीदाता को ले जाने का अधिकार होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में रद्दी नीलामी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

NIB-DSM2425A0002

अध्यक्ष
तलफशुदा पेपर निस्तारण/नीलामी समिति
एवं अति0 सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण)
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : रद्दी /नीलामी/2024/384 दिनांक :– 24.7.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर द्वितीय।
2. प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा/लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय।
3. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय।
4. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
तलफशुदा पेपर निस्तारण/नीलामी समिति
एवं अति0 सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण)
जयपुर महानगर द्वितीय